

# कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्ता।

## आदेश फलक

अभिलेख वाद सं- 435 / 2016 - 17

**वाद का प्रकार:-** बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं 0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
27.10.2016	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा.....लुदूदु.....थाना नं 72 खाता नं 8, 8, 30 खेसरा नं 20, 101, 44 रकबा.....0.62.....एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड) के खाते की स्वरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या 25 पर जमाबंदी रैयत.....गंगा.....मुख्या.....</p>	

....पिता/पति..... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुक्मनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 03/11/2016 को रखें।

लेखापति एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

कर्ता।

कर्ता।

आदेश का  
क्रमांक / फ़िल्म

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई  
कार्रवाई पर  
टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत मंगरा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं0 933865 वर्ष 2011–12 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है,

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा लुदरू, थाना नं0 72 के सर्वे खतियान में खाता सं0 08, एवं 30 प्लॉट सं0 20, 101 एवं 44 रकबा क्रमशः 0.62, 0.66 एवं 1.40 कुल रकबा 2.68 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास परती कदीम दर्ज है।

राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं0 25 में मंगरा मुण्डा के नाम से दर्ज है। पंजी II में प्रथम लगान रसीद वर्ष 1991 तथा अन्तिम लगान रसीद 2011 कटा दर्ज है। गैरमजुरुआ भूमि बंदोबस्ती पंजी में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से दखल—कब्जा है। पंजी II रैयत कृषि कार्य करते आ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं0 08, एवं 30 प्लॉट सं0 20, 101 एवं 44 रकबा क्रमशः 0.62, 0.66 एवं 1.40 कुल रकबा 2.68 एकड़ भूमि की जमाबंदी के नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।

लेखापित संशोधित।

अंचल अधिकारी  
कर्ता।

62  
अंचल अधिकारी  
कर्ता।

04.12.2020